मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

(म0प्र0 शासन का उपक्रम)
कार्यालय महाप्रबंधक
परियोजना क्रियान्वयन इकाई निवाड़ी
आजाद गंज, निवाड़ी, जिला निवाड़ी(म.प्र.)
E-mail: gmtikamgarh.mpjalnigam@mp.gov.in, CIN. No. U41000MP2012SGC028798

क्र. / / म.प्र.जल नि. मर्या. / पी.आई.यू. / 2022 निवाडी दिनांक

प्रति,

वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल टीकमगढ़ (म.प्र.)

विषयः— निवाडी पृथ्वीपुर 2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना में पाईप लाईन बिछाने हेतु अनुमति बावत्।
अंतिम चरण की औपचारिक स्वीकृति प्रदाय करने हेतु। (डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क)

संदर्भः— 1. आपका पत्र क्रमांक / संरक्षण / 2022 / 65 टीकमगढ़ दिनांक 05.01.2022.
2. आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2022 / 79 टीकमगढ़ दिनांक 08.01.2022.

---0000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 01 के माध्यम से निवाडी—पृथ्वीपुर वृत्व ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत आपके वनखण्ड का 2.022 हेक्टेयर वनभूमि पर पाईप लाईन बिछाने की सैद्वांतिक अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन दी गई है:—

क्र.	शर्त का विवरण	शर्त का पालन करने का वचन पत्र
1	यह स्वीकृति अभ्यारण्य क्षेत्र के लिए मान्य नहीं होगी।	स्वीकृति अभ्यारण्य क्षेत्र के लिए मान्य नहीं होगी, शर्त स्वीकार है।
2	भूमि का वैद्यानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।	भूमि का वैद्यानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा। इसके लिए वचन बध्द है।
3	प्रस्तावित कार्यो के दौरान वन क्षेत्र में किसी भी वृक्ष को काटा व हानि नहीं पहुँचाई जावेगी।	प्रस्तावित कार्यो के दौरान वन क्षेत्र में किसी भी वृक्ष को काटा व हानि नहीं पहुँचाई जावेगी। इसके लिए वचन बध्द है।
4	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा समय—समय पर निर्धारित दरों के अनुसार व्यपवर्तित वन भूमि हेतु नेट प्रजेन्ट वेल्यू की (संदर्भित पत्र क्र. 02 में प्रदर्शित संशोधित) राशि 2.022 हेक्टेयर का 12,28,590 रूपये प्रति हेक्टेयर से 24,84,209 / — (रूपये चौबीस लाख चौरासी हजार दो सौ नौ मात्र) का भुगतान कैम्पा खाते में जमा करते हुये जमा राशि का विवरण यू.टी.आर. नं. सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।	प्रकरण में अंतिम स्वीकृति हेतु नेट प्रजेन्ट वेल्यू की (संदर्भित पत्र क्र. 02 में प्रदर्शित संशोधित) राशि 2.022 हेक्टेयर का 12,28,590 रूपये प्रति हेक्टेयर से 24,84,209 / — (रूपये चौबीस लाख चौरासी हजार दो सौ नौ मात्र) का भुगतान कैम्पा मद में जमा कर जमा राशि का विवरण यू.टी.आर. नं. SBIN222018945510 संलग्न है।
5	राज्य शासन द्वारा प्रदत्त की जाने वाली यह अनुमति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनुवीक्षण किये जाने की शर्त के अधीन मान्य होगी।	राज्य शासन द्वारा प्रदत्त की जाने वाली यह अनुमति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनुवीक्षण किये

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

(म0प्र0 शासन का उपक्रम)

कार्यालय महाप्रबंधक

परियोजना क्रियान्वयन इकाई निवाड़ी

आजाद गंज, निवाड़ी, जिला निवाड़ी(म.प्र.)

E-mail: gmtikamgarh.mpjalnigam@mp.gov.in, CIN. No. U41000MP2012SGC028798

		जाने की शर्त के अधीन मान्य होगी, शर्त स्वीकार है।
6	यह वन भूमि प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट कार्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य उपयोग में नहीं ली जा सकेगी। भूमि के प्रयोजन में बगैर केन्द्र शासन की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का परिवर्तन, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जावेगा। ऐसे प्रयोजनों में बदलाव हेतु राज्य शासन के नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।	वन भूमि प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट कार्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य उपयोग में नहीं ली जा सकेगी। भूमि के प्रयोजन में बगैर केन्द्र शासन की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का परिवर्तन, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जावेगा। ऐसे प्रयोजनों में बदलाव हेतु राज्य शासन के नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, शर्त स्वीकार है।
7	वन भूमि के हस्तांतरण से पूर्व अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पारम्परिक निवासी वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।	वन भूमि के हस्तांतरण से पूर्व अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पारम्परिक निवासी वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा, शर्त स्वीकार है।
8	परियोजना क्षेत्र में बसे हुये आदिम जाति (Primitive Tribal Communities) एवं कृषि–पूर्व समुदाय की मान्यता प्राप्त अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।	परियोजना क्षेत्र में बसे हुये आदिम जाति (Primitive Tribal Communities) एवं कृषि–पूर्व समुदाय की मान्यता प्राप्त अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी, इसके लिए वचन बध्द है।
9	वनों के सरंक्षण, अनुशरण तथा संबंर्धन के हित में राज्य शासन, वन विभाग अथवा भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम क्षेत्रीय) भोपाल द्वारा समय–समय पर अधिरोपित की गई अन्य शर्तो का पालन उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा किया जावेगा।	वनों के सरंक्षण, अनुशरण तथा संबंर्धन के हित में राज्य शासन, वन विभाग अथवा भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम क्षेत्रीय) भोपाल द्वारा समय–समय पर अधिरोपित की गई अन्य शर्तो का पालन किया जावेगा। इसके लिए वचन बध्द है।
10	उपयोगकर्ता ऐजेन्सी क्षतिपूर्ति बैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अनुसार राशि 55,64,463/– (पचपन लाख चौंसठ हजार चार सौ तिरेसठ रूपये मात्र) का भुगतान कैम्पा खाते में जमा करते हुए जमा राशि का विवरण यू.टी.आर. नं. सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।	क्षतिपूर्ति बैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अनुसार राशि 55,64,463/– (पचपन लाख चौंसठ हजार चार सौ तिरेसठ रूपये मात्र) का भुगतान कैम्पा मद में जमा कर जमा राशि का विवरण यू.टी. आर. नं. SBIN22201894551O संलग्न है।
11	उपयोगकर्ता अभिकरण व्यपवर्तित भूमि उसके चारों ओर	अभिकरण व्यपवर्तित भूमि उसके चारों

	क्षेत्र में स्थित जीव जन्तुओं व वनस्पति को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार रहेगा तथा उसकों संरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय भी करेगा, अभिकरण द्वारा किया जावेगा।	ओर क्षेत्र में स्थित जीव जन्तुओं व वनस्पति को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार रहेगा तथा उसकों संरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय भी करेगा, अभिकरण द्वारा किया जावेगा, शर्त स्वीकार है।
12	उपयोगकर्ता कार्य प्रारंभ के पूर्व यह वचन पत्र प्रस्तुत करेगा कि वन संरक्षण की पुष्टि से राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा भविष्य में कोई शर्त लगाई जाती है तो वह उसे मान्य होगी।	वन संरक्षण की पुष्टि से राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा भविष्य में कोई शर्त लगाई जाती है तो वह मान्य होगी, इसके लिए वचन बध्द है।
13	निर्माण कार्य के दौरान वन क्षेत्र के अंदर अथवा वनभूमि से 250 मीटर की परिधि से किसी प्रकार के उत्खनन अथवा पत्थरों को तोडने की कोई अनुमति नहीं होगी। वनक्षेत्र के बाहर से प्राप्त कर परिवहन की गई निर्माण सामग्री का निर्माण कार्य हेतु उपयोग किया जावेगा।	निर्माण कार्य के दौरान वन क्षेत्र के अंदर अथवा वनभूमि से 250 मीटर की परिधि से किसी प्रकार के उत्खनन अथवा पत्थरों को तोडने की कोई अनुमति नहीं होगी। वनक्षेत्र के बाहर से प्राप्त कर परिवहन की गई निर्माण सामग्री का निर्माण कार्य हेतु उपयोग किया जावेगा, इसके लिए वचन बध्द है।
14	वन भूमि पर श्रमिक कैम्प नहीं लगाये जावेगें।	वन भूमि पर श्रमिक कैम्प नहीं लगाये जावेगा, इसके लिए वचन बध्द है।
15	सूर्य अस्त के पश्चात् कोई कार्य नहीं किया जावेगा।	सूर्य अस्त के पश्चात् कोई कार्य नहीं किया जावेगा। इसके लिए वचन बध्द है।
16	कार्य के दौरान वनभूमि में कोई भी प्लांट/मशीनरी नहीं लगाई जावेगी।	कार्य के दौरान वनभूमि में कोई भी प्लांट/मशीनरी नहीं लगाई जावेगी। इसके लिए वचन बध्द है।
17	यदि आवेदक/आवदेक संस्थान या उनके ठेकेदार के द्वारा वनभूमि को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाई जाती है तो वनमण्डलाधिकारी द्वारा निर्धारित की गई राशि आवेदक/आवेदक संस्थान से देय होगी। ठेकेदार द्वारा किये गये किसी भी उल्लंघन के लिये आवेदक संस्थान उत्तरदायी होगें।	यदि आवेदक/आवदेक संस्थान या उनके ठेकेदार के द्वारा वनभूमि को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाई जाती है तो वनमण्डलाधिकारी द्वारा निर्धारित की गई राशि आवेदक/आवेदक संस्थान से देय होगी। ठेकेदार द्वारा किये गये किसी भी उल्लंघन के लिये आवेदक संस्थान उत्तरदायी होगें, शर्त स्वीकार है।
18	संयुक्त निरीक्षण में प्राप्त जी.पी.एस. रीडिंग के अधीन ही कार्य किया जावेगा।	संयुक्त निरीक्षण में प्राप्त जी.पी.एस. रीडिंग के अधीन ही कार्य किया जावेगा। इसके लिए वचन बध्द है।

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

(म0प्र0 शासन का उपक्रम)
कार्यालय महाप्रबंधक
परियोजना क्रियान्वयन इकाई निवाड़ी
आजाद गंज, निवाड़ी, जिला निवाड़ी(म.प्र.)
E-mail: gmtikamgarh.mpjalnigam@mp.gov.in, CIN. No. U41000MP2012SGC028798

अतः उपरोक्त शर्तो का पालन करने संबंधी शर्तवार वचन पत्र आपकी ओर अंतिम चरण की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत है। कृपया शीध्र अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

महाप्रबंधक
म0प्र0 जल निगम मर्यादित
परियोजना क्रियान्वयन इकाई
निवाड़ी (म0प्र0)

पृ क्र./ 71 /म.प्र.जल नि. मर्या./पी.आई.यू./2022 निवाडी दिनांक 19/01/2022

प्रतिलिपिः—1. प्रबंध संचालक, म.प्र. जल निगम मर्यादित, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) सतपुडा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक छतरपुर, वृत्त छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मैसर्स टी.पी.पी.एल. —जे.ई.डब्लू.—जे.व्ही., साईट ऑफिस पृथ्वीपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महाप्रबंधक
म0प्र0 जल निगम मर्यादित
परियोजना क्रियान्वयन इकाई
निवाड़ी (म0प्र0)

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.
CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submittted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.
Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.
Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made.
Paid : This icon shows that the payment has been made.

(•) Proposals received on or after 15th July 2014 ( ) All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Bhopal
Select State : Madhya Pradesh
Select User Agency : Select
Online Help/Query
Payment Status : ( ) Paid ( ) Unpaid (•) All
Enter value for Search : 144241

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/MP/WATER/144241/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/WATER/144241/2021) Niwadi-prithvipur 2 Multi village water supply scheme (Distribution Network)	WATER1442412021757	07 Jan 2022	**CA:** 0/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 2484209/- , **Compensation alternate tree planting plan amount. :** 5564463/- **Total :** 8048672/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 17 Jan 2022 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 17 Jan 2022 **Transaction Date** : 18 Jan 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/170120221046199432_FPMPWATER14424120 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=WATER1-

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in